16.21 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of articles 7 and 393*) by Shri Krishna Deo Tripathi

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (उन्नाव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।" उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन करने के लिए मैं ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उस का मंशा बिल्कुल साफ़ है। जब हमने समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य स्वीकार कर लिया है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने संविधान में इस भावना को, अपने इस लक्ष्य को, अपनी इस प्रतिज्ञा को उचित स्थान दें। यह सही है कि जिस समय संविधान बना था, उस समय समाजवाद का लक्ष्य हमारे सामने बहुत साफ़ नहीं था। हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि जिस तरह हमारी संविधान निर्मात्री परिषद् बनी थी, उस सभा में और उस समय की विशेष स्थिति के संदर्भ में यह सम्भव नहीं था कि समाजवादी लक्ष्य का समावेश हमारे संविधान में किया जाये। लेकिन इस बात में भी सन्देह नहीं कि उस समय हमारे नेता, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, के सामने यह बिल्कुल साफ़ था कि हमें आगे चल कर समाजवादी समाज का निर्माण करना है। संविधान निर्मात्री परिषद् में सम्बन्धित प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 में जो कुछ कहा था, उस की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

"You all know that this Constituent Assembly is not what many of us wished it to be."

आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा :

"Others might take objection to this resolution on the ground that we have not said that it should be a Socialist State. Well, I stand for socialism and, I hope, India will stand for socialism and that India will go towards the constitution of a socialist State....."

आज जब मैं संविधान में यह संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं, तो समझता हूं कि हम अपनी उस कल्पना को, अपने उस लक्ष्य को व्यवहार रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे नेता ने 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान निर्मात्री परिषद् के सामने रखा था और जिस की पूर्ति की उन्होंने आशा व्यक्त की थी।

यह बात भी सही है कि जब 1946 से 1949 तक संविधान बना, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, जिस में समाजवाद की बात बहुत साफ़ तौर से कही जाती उस समय के हमारे नेता और विशेषकर संविधान निर्मात्री परिषद् के सदस्य देश भक्त तो थे ही, लेकिन उन में से अधिकांश उदारवादी, लिबरल थे, जिनका विश्वास समाजवाद में नहीं था, हालांकि उनकी धुंधली सी कल्पना थी, एक ऐसे राज्य का निर्माण करने की एक ऐसी राज्य-व्यवस्था को कायम करने की जिस में लोक-कल्याणकारी समाज की स्थापना हो सके। लेकिन धीरे-धीरे देश की आर्थिक स्थिति के कारण जनता में और राजनीतिक दलों में इस विचार-धारा ने बल पकड़ा कि अगर भारत जैसे पिछड़े हुए देश को तेजी से विकास करना है, तो केवल समाजवाद के द्वारा ही वह विकास हो सकता है, केवल समाजवाद के रास्ते पर चल कर ही उस को आगे बढ़ाया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। पंडित नेहरू का नेतृत्व भी सदैव देश में और कांग्रेस में समाजवादी प्रवृत्तियों को मजबूत करने का प्रयास करता रहा।

16.25 hrs.

[SHRI SHAM LAL SARAF in the Chair]

इस के अतिरिक्त नीचे के सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं का दबाव भी इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन को इस देश की वास्तविक परिस्थिति का अनुभव था। वे यह महसूस कर रहे थे अगर हम ने समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और उस की तरफ़ आगे न बढ़े, तो शायद हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे और उस सम्पन्न भारत का निर्माण नहीं कर सकेंगे, जिस की कल्पना हम ने आज़ादी की लड़ाई के समय की थी।

इस प्रकार धीरे धीरे समाजवादी समाज का हमारा लक्ष्य साफ़ होता गया और आज इस देश में जिस राजनीतिक दल का शासन है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद उस ने 1955 में आवाड़ी में समाजवादी व्यवस्था का लक्ष्य स्वीकार किया। उसके बाद भुवनेश्वर के अधिवेशन में उस ने समाजवादी समाज के लक्ष्य को बहुत स्पष्ट रूप से माना और उस दिशा में तेज़ी से चलने की प्रतिज्ञा की और कुछ कदम और चरण भी निर्धारित किये, जिन के द्वारा उस लक्ष्य की ओर तेज़ी से चला जा सकता है। यही नहीं, हम ने अपने नियोजन के प्रारूपों में भी समाजवादी व्यवस्था की बात कही है। हम ने औद्योगिक नीति के प्रस्ताव के द्वारा इस सदन में भी इस लक्ष्य को स्वीकार किया है।

इन सब बातों को देखते हुए और देश की पिछले उन्नीस वर्ष की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि हमें समाजवादी समाज का लक्ष्य बहुत मजबूती के साथ मन्जूर करना है और चूंकि हमारे संविधान में इस की व्यवस्था नहीं है, हम ने उस में, भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया है, इसलिए अपने इस उद्देश्य, इरादे को दृढ़ता पूर्वक व्यक्त करने के लिए और उस दिशा में बढ़ने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम संविधान में उचित संशोधन करने की व्यवस्था न करें।

पिछले उन्नीस वर्ष म यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि जब जब भी इस देश पर संकट के बादल छाये हैं, तब तब इस देश ने एकता के साथ, मिल-जुल कर काम करके बहादुरी तथा दृढ़ता का परिचय दिया है। चाहे पाकिस्तान का हमला हो, चाहे चीन का हमला हो, देश ने एकता और दृढ़ता के साथ डट कर उसका मुकाबला किया है। ऐसा क्यों संभव हो सका? ऐसा केवल इसलिए संभव हो सका कि भारत के इतिहास में पहली बार 48 करोड़ लोग यह समझे है कि यह देश उनका है और उनमें साझेदारी की भावना पैदा हुई है। और यह साझेदारी की भावना पैदा हुई है लोकतन्त्र के माध्यम से। चूंकि हमने लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था को इस देश में अपनाया है, जिसमें सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, इस लिए उनमें यह एकता और साझेदारी की भावना पैदा हुई है और इसी लिये संकट-काल में इस एकता की भावना के सहारे ही यह देश बड़ी बड़ी दिक्कतों पर काबू पाने में सफल हुआ है। यह साझेदारी की भावना प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत गांधी जी और श्री नेहरू के नेतृत्व में इस देश को मिली है।

पिछले उन्नीस वर्षों में एक तथ्य बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आया है, जिस के लिए हमें अफसोस है, सारे देश का अफसोस है। हमने यह कल्पना की थी कि राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद हम इस देश को समृद्ध बनायेंगे, आगे ले जायेंगे, गरीबी और भुखमरी को दूर करेंगे, बीमारी, अत्याचार, अनाचार और शोषण, का अन्त करेंगे, इस देश में एक ऐसा समाज बनायेंगे, जिसमें सभी खुशहाल हों, जिसमें सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उन्नीस वर्ष बाद भी हम ऐसा नहीं कर सके। इस सम्बन्ध में मैं और पूरे देश को निराशा हुई है।

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सी कठिनाइयां होते हुए भी प्रयत्नशील है । वह यह भी महसूस करती है कि इस दिशा में जितनी तेजी से चलना चाहिए, हम उतनी तेजी से नहीं चल सके हैं । वह यह प्रयास भी कर रही है कि उस ग्रोर ज्यादा तेजी से चला जाये । हम समानता के ग्राधार पर, सामाजिक न्याय के ग्राधार पर, ग्रार्थिक विषमता को दूर करके एक खुशहाल समाज बनाना चाहते थे । लेकिन उसकी जगह देखने में यह ग्राया है कि चूंकि हम ने समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में तेजी से ग्रौर दृढ़ता से कदम नहीं उठाया है, इस लिए उसका परिणाम यह हुग्रा है कि हमारे देश में पिछले उन्नीस वर्षों में विषमता घटने के बजाये बढ़ती गई है । चाहे देहात ग्रौर शहरों की विषमता हो, चाहे ग्रमीर ग्रौर गरीब की विषमता हो, चाहे बड़े ग्रौर छोटे, ऊंचे ग्रौर नीचे की विषमता हो, चाहे एक क्षेत्र ग्रौर दूसरे क्षेत्र में विषमता हो, हमारे देश में हर तरह की विषमता बढ़ती गई है । चूंकि पिछले उन्नीस वर्षों में हम समाजवादी रास्ते पर नहीं चले हैं, इस लिए उसका परिणाम यह हुग्रा है कि हम सामाजिक न्याय पर ग्राधारित ग्रौर ग्रार्थिक विषमता को दूर कर के जिस तरह की ग्रार्थिक व्यवस्था इस देश में स्थापित करना चाहते थे, उसमें सफल नहीं हुए हैं । एक तरफ तो हमारे देश में राजनीतिक जनतंत्र की वजह से साझेदारी की भावना पैदा हुई है, जिसके माध्यम से हम बड़ी बड़ी दिक्कतों, बड़ी बड़ी मुसीबतों ग्रौर विदेशी ग्राक्रमणों का सामना करने में सफल हुए हैं । बावजूद इस बात के कि हमारे यहां ग्रान्तरिक मतभेद हैं, क्षेत्र क्षेत्र में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं,

भाषा के ग्राधार पर मतभेद हो जाते हैं, लेकिन यह बुनियादी एकता जो संकट काल में हमारे सामने ग्राई, वह उसी साझेदारी की भावना के कारण थी, जो जनतन्त्र की वजह से पैदा हुई । तो एक तरफ तो यह बुनियादी एकता जनतन्त्र की वजह से, साझेदारी की भावना की वजह से ग्रौर दूसरी तरफ 20 वर्षों में हम देश को ग्रार्थिक दृष्टि से जितना ग्रागे ले जाना चाहते थे, वह ग्रागे नहीं ले जा सके ग्रौर एक तरह से हमारी ग्रर्थ व्यवस्था म ठहराव ग्रा गया है, स्टेगनेशन ग्रा गया है, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं ।

स्थिति यह है कि ग्रगर हम प्रजातन्त्र के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन इस देश में ला सकने में समर्थ न हुए तो प्रजातन्त्र खतरे में पड़ जायेगा ग्रौर प्रजातन्त्र ग्राज खतरे में है, क्योंकि हम प्रजातन्त्र के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं हो सके हैं इसलिये ग्राज तक यह है उन लोगों के लिये जो प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं ग्रौर मैं समझता हूं कि पूरा सदन प्रजातन्त्र में विश्वास करता है, मैं प्रातन्त्र में विश्वास करता हूं, सारा देश प्रजातन्त्र में विश्वास करता है कि ग्रगर हमें प्रजातन्त्र की रक्षा करनी है, प्रजातन्त्र को मजबूत बनाना है, तो हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम उस प्रजातन्त्र को सार्थक बनावें, उस प्रजातन्त्र को सारवान बनावें ग्रौर वह तभी सम्भव है जब हम प्रजातन्त्र के साथ समाजवाद का मिलाप करा दें । प्रजातन्त्र राजनीतिक क्षेत्र में है । ग्रगर ग्रार्थिक समामता की बात है तो प्रजातन्त्र से हम नहीं ला सकते । प्रजातन्त्र तो एक ग्रवसर देता है पूरे समाज को, पूरी जनता को कि वह प्रजातन्त्र के राजनीतिक ग्रस्त्र से सामाजिक परिवर्तन ले ग्रावे ग्रौर एक ऐसा समाज स्थापित कर दे, जिसमें सब को समान रूप से ग्रागे बढ़ने ग्रौर प्रगति करने का मौका मिले ग्रौर समाज की बुनियादी शक्ति को बढ़ा सके ।

हमने पिछली लड़ाई के बाद ग्रफरीका ग्रौर एशिया के देशों में जो देखा वह हमारे लिये बहुत बड़ा सबक होना चाहिये । जिस तरह से ये देश वहां सामाजिक परिवर्तन ग्रौर

समस्याओं के हल नहीं निकाल पाये और परिणाम यह हुआ कि एक के बाद दूसरा देश या तो फासिस्ट ताकतों का शिकार हुआ, अधिनायकवाद का शिकार हुआ, वहां पर एक दल की सरकारें हो गई और दूसरे दलों को समाप्त कर दिया गया, राजनीतिक स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई, या वहां पर फौजी तानाशाही कायम हुई। यह बड़े सौभाग्य की बात है खुशी की बात है कि हमारे देश में प्रजातन्त्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यह स्थिति पैदा नहीं हुई और हमारी जनतन्त्रात्मक व्यवस्था आज भी उसी तरह से काम कर रही है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, अगर हमें जनतन्त्र को मजबूत करना है और जनतन्त्र को स्थायी करना है तो आवश्यक है कि जनतन्त्र को पूरा किया जाय। इस जनतन्त्र का विस्तार आर्थिक क्षेत्र में किया जाय और जनतन्त्र के विस्तार को आर्थिक क्षेत्र में करने का अर्थ है कि हम समाजवाद की स्थापना इस देश में जल्द से जल्द करें।

संविधान जिस रूप में हमारे सामने है, उसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की समानता की बात की गई है और एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जिसमें सभी को समान रूप से अधिकार मिलें, आगे बढ़ने का अवसर मिले, प्रगति और विकास करने का अवसर मिले। लेकिन जैसा मैंने कहा जब हमने अपना लक्ष्य समाजवाद निर्धारित कर लिया है तो कोई मायने नहीं हैं कि हमारे संविधान में इसके माध्यम से इस बात की घोषणा क्यों न की जाये। मैं नहीं कह सकता, इस पर भी दो रायें हो सकती हैं कि आज हमारे देश का जो मौजूदा संविधान है, क्या उसके माध्यम से इस देश में समाजवाद आ सकेगा या नहीं। मैं समझता हूं कि आ जायेगा और जैसे जैसे हम समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि कुछ रुकावटें आयें, हम महसूस हो कि हमारा संविधान हमें उस दिशा में तेजी से चलने में रुकावट डाल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान देश के विकास का एक माध्यम है, जहां पर वह देश के आगे बढ़ने में रुकावट डालेगा, कोई ऐसा अनुच्छेद या ऐसी धारा जो हमें उस दिशा में तेजी से चलने में रुकावट डालेगी, हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि जब हमने समाजवाद का लक्ष्य मान लिया है तो हम उसका समावेश अपने संविधान में ईमानदारी और नेकनीयती से करें। यह बहुत आवश्यक है।

आज एक और विशेष स्थिति है जो पिछले कुछ महीनों से जो इस देश में पैदा हो रही है। फासिस्टवादी ताकतें, साम्प्रदायिक ताकतें जिस तेजी से इस देश की एकता को धक्का पहुंचा रही हैं, उस से आंखें बन्द नहीं कर सकते। वह बहुत बड़ा खतरा है और मैं उन लोगों में हूं जो महसूस करते हैं कि केवल समाजवाद का रास्ता ही इस तरह की विघटनकारी मनोवृत्ति के विस्तार को रोक सकता है। इसलिये आवश्यक है कि हम अपने इस इरादे को और साफ करें ताकि देश यह समझे कि हम नेकनीयती के साथ अपने इस इरादे को लागू करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

फिर जैसा मैंने कहा संविधान में जो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं वह अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 393 में है। इसके द्वारा देश के नाम में परिवर्तन किया जायगा—

"sovereign, democratic, socialist Republic of India"

इसके बाद यह "सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक समाजवादी भारत" के नाम से पुकारा जायगा। जिस बात को हम स्वीकार कर चुके हैं, जिसको हमारी सरकार स्वीकार कर चुकी है, जिस राजनीतिक दल की यह सरकार है और जो इसको स्वीकार कर चुका है, उसका समावेश संविधान में आज नहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब 1955 में इस देश की सरकार के राजनीतिक

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

दल ने इस लक्ष्य को स्वीकार किया था और जब भुवनेश्वर में उसकी पुष्टि की थी तो आवश्यक था कि उसी वक्त हम इस बात को अपने संविधान में ले आते और अपने इस लक्ष्य को स्पष्ट कर देते। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है और मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत आवश्यक है जैसा मैंने कहा—ताकि इस देश के लोगों को जो विश्वास है, जो साझेदारी की भावना है, वह मजबूत हो। लोग यह न समझें कि हम नारा कुछ लगाते हैं, कार्यक्रम कुछ देते हैं, लेकिन करते कुछ है। अगर हम समाजवाद में विश्वास करते हैं, जैसा कि हम करते हैं, यह सदन करता है, इस देश के तमाम राजनीतिक दल करते हैं, केवल एक या दो राजनीतिक दलों को छोड़ कर, और इस देश की 48 करोड़ जनता करती है, क्योंकि उसका भाग्य इसी पर निर्भर करता है अगर समाजवाद आता है, तभी वे सम्पन्न हो सकते है, इसलिये जब हम नेकनीयती से समाजवाद में विश्वास करते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हम संविधान के अनुच्छेद 1 और 393 में जो संशोधन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उन संशोधनों को स्वीकार करें।

मैं सरकार से यह आशा करूंगा, जो समाजवाद में विश्वास करती है, जो देश का समाजवादी नेतृत्व करना चाहती है, जो समाजवाद के आधार पर इस देश का विकास और नियोजन करना चाहती है, मैं उस सरकार से निवेदन करूंगा कि वह संविधान में इस संशोधन को स्वीकार करे। देश में एक ऐसा वातावरण बनावे, जिससे समाजवादी ताकतों में नया हौमला, नई मजबूती, नई दृढ़ता आवे और हम उस दिशा में तेजी से और जल्दी से चलें, ताकि ऐसे हिन्दुस्तान का निर्माण बहुत जल्द कर सकें, ऐसे समाज का निर्माण बहुत जल्द कर सकें, जिस समाज की कल्पना हम इतने दिनों से करते आये हैं।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

Shri S. Kandappan (Tiruchengode): Sir, the hon. Members, Mr. Tripathi, has moved a Bill seeking to insert the words "sovereign, democratic, socialist Republic" in articles 1 and 393 of the Constitution. I find this inscribed in the Preable itself. Before going into the advisability of inserting these words, I would like to pose the question whether the problem of bringing a socialist, democratic Republic to this country will be solved by simply paraphrasing it in such a manner. We know the untiring and persistent lip sympathy paid to democratic socialism in Avadi, then in Bhuvaneswar and then in Jaipur. The Government continues to say that they are aiming to bring about a socialist, democratic Republic in this country. But to our utter regret, we find the practical steps taken by the Government are not in that direction. It is rather going in the reverse. We know the progress made by the private sector and we know the plight in which the public sector is placed. We also know how socially a considerable and a substantial portion of the population of this country is still placed, how they are in sub-human and inhuman positions and how they have not even reached the marginal level of minimum human standards. So, these kinds of things should be attended to before these superfluous changes are sought to be made—whether we change it or not it is immaterial.

As far as the Constitution is concerned, it is not without flaws. There were vested interests operating even during the framing of the Constitution. That is my view. For example...

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): No.

Shri S. Kandappan: Shri Sharma is saying "No", but to my mind it is so. Take, for example, article 15 of the Constitution. It is about prohibition of discrimination on grounds of

religion, race, caste, sex or place of birth. **This article says:**

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

I would like to ask the constitutional pundits among the hon. Members here whether these grounds are the only things in our country which discriminate people. Take, for example, language. Is it not one of the major things where we find that almost two-third of the total population in this country is being discriminated against. By not including "language" in this article and by creating the superfluous Part XVIII of the Constitution about official language, I find our Constitution has relegated the non-Hindi-speaking people to a secondary status. It is so for the last 19 years and it will be there for quite some time, I think.

Shri Shree Narayan Das: That is not a fact.

Shri S. Kandappan: It is a fact. I consider it as the Himalayan blunder of the Constitution-framers. It is a fact and it is there in black and white. There are other things too where we find that there is discrimination.

Therefore, I would say that instead of putting in some more phrases or taking away some words in the Constitution, the Government should go in for more basic and practical approaches, and they should try to really bring about a situation wherein they can really lead this country towards the goal of socialism.

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : हमारे त्रिपाठी जी ने जो विधेयक विधान में संशोधन करने का उपस्थित किया है उसके पीछे जो भावना है जैसा कि उनके संशोधन से और उनके भाषण से भी स्पष्ट है, बहुत ही अच्छी है । हमारे संविधान की पहली धारा है । जो नाम की व्याख्या की गई है और संविधान की धारा 393 में जो संविधान का नाम बताया गया है, उसमें संशोधन करने के लिये यह बिल है । जो शब्द वह इस संशोधन विधेयक द्वारा जोड़ना चाहते हैं अंग्रेजी में वे हैं, सावरेन डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक । हिन्दी में अनुवाद किया जाए तो वह बनेगा सर्वसत्तात्मक, प्रजातंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, यानी इन शब्दों में वह शब्द समाजवादी जोड़ना चाहते है । मैं समझता हूं कि नाम जितना छोटा होता है उतना ही अच्छा होता है । नाम को अगर बढ़ा दिया जाए तो जो उसके कंटेंट्स है, जो तथ्य है वे नही बढ़ जाते हैं ।

यह सही ह कि हमने और इस सदन ने भी प्रस्ताव स्वीकार किया हुआ है कि हमारा जो उद्देश्य है वह समाजवाद लाने का है । हम अपने देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते है । उसके लिए जितने भी प्रयास, जितने भी प्रयत्न जारी है, वे हम कर रहे हैं । हो सकता है कि उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ समय लग रहा हो । लेकिन आप देखें कि हमारे देश का यह निश्चय है, इस सदन का यह निश्चय है कि हमारा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है । नाम बढ़ा देने से उद्देश्य की जो प्राप्ति है वह जल्दी नहीं हो जाती है ।

हमारा देश, हमारा राष्ट्र सर्वसत्तात्मक है, इस में किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है । किसी के दबाव से काम हम नही करते हैं । हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है । जितनी भी शक्ति देश के अंदर है शासन की, वह जनता की शक्ति है । जनता ने चुनाव के जरिये से इस सदन को अपनी सारी शक्ति प्रदान की है । जनता के ही हम प्रतिनिधि है । उसके प्रतिनिधियों के रूप में ही हम यहां काम करते है । सर्वसत्तात्मक तो हमारा देश है ही । हमारा जो विधान है वह शुरू से ले कर, अ से ले कर अः तक प्रजातांत्रिक ढांचे पर ही तो बना हुआ है । विधान की जो सारी रचना है, विधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रिएम्बल

[श्री श्रीनारायण दास]

है वह बिल्कुल आप समझिये प्रजातांत्रिक ढंग का है। समाजवाद का तो हम निश्चय कर ही चुके हैं। जो माननीय सदस्य की इच्छा है वह बहुत प्रशंसनीय है। उसके सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने कहा है वैसे तो उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह सब तो है ही। समय समय पर जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने की हम घोषणा भी करते रहते हैं। अपने प्रस्तावों द्वारा हम उसकी प्राप्ति का संकल्प करते रहते हैं। संविधान के अन्दर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ स्टेट पालिसी है, शासन के जो सिद्धान्त दिये गये हैं वे सब इतने स्पष्ट हैं कि अगर उनको हम कार्यान्वित कर सकें जल्द से जल्द तो हमारा देश एक बहुत अच्छा आदर्श देश बन सकता है। इसलिए जहां मैं उनके संशोधन की भावना का हृदय से समर्थन करता हूं वहां जो विशेषण वह नाम में जोड़ना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं। वह तो उस में सन्निहित है, मिला हुआ है। इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। संविधान के नाम या 393 धारा में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द हमारे देश में समाजवाद अगर नहीं आएगा तो हमारे प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है। जनता ने जो सत्ता हमें दे रखी है या जो निर्णय हमने अपने प्रस्तावों द्वारा या या किसी और ढंग से कर रखे है उन से हम हट जाते है या उस सत्ता को अगर हम किसी दूसरे के मातहत कर देते हैं तो हम अपने सिद्धान्त से गिरेगें। हमें चाहिये कि हम जल्द से जल्द अपनी योजना को, अपने काम को जोकि हमारे देश मे चला रहे हैं, सम्पन्न करके यहां की गरीबी को मिटायें। अगर हम यह कोशिश नहीं करेंगें और जो विषमता हमारे देश में है, समाजिक, आर्थिक या राजनैतिक उसको हम शीघ्रातिशीघ्र दूर नहीं करेंगें तो यह हमारा जो प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र है उसके ऊपर जबर्दस्त खतरा आ सकता है। इस में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये। इस वास्ते जहां मैं उनके संशोधन विधयक की भावना का समर्थन करता हूं वहां मैं इस संशोधन की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

हमारे एक मित्र ने अभी कहा कि हमारे देश में जाति के अधार पर, रेस के अधार पर, जन्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये। यह तो एक सिद्धान्त की बात है जिस को हमने स्वीकार किया हुआ है। उनकी समझ में, उनके खयाल में ऐसा होता हो तो मुझे पता नहीं। वो समझते हैं कि हमारे देश में भेदभाव बरता जाता

Shri S. Kandappan: I want to that the word "language" should be included there. There should be no discrimination on the basis of language also.

श्री श्रीनारायण दास : यह ठीक है। मैं चाहता हूं कि जैसे इस विधेयक की जरूरत नहीं है उसी तरह से यह भाषा शब्द जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहां उत्तर दक्षिण के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। जो मौलिक अधिकार हैं, ऐसी बात नहीं है कि उत्तर वालों को अलग से दिये गये हों और दक्षिण वालों को .

Shri S. Kandappan: It is a fact.

श्री श्रीनारायण दास : अलग से। सब के मौलिक अधिकार एक हैं। अगर आपकी नजर में उत्तर और दक्षिण का भेद हो तो यह आपकी नजर का दोष हो सकता है। हमारे संविधान में न भाषा के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर या और किसी आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है। अगर आप समझते हैं कि ऐसा होता है तो यह आपका भ्रम है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इसको आप अपने दिमाग से निकाल दें तो अच्छा होगा।

मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि इस विधेयक को ला कर उन्होंने थोड़ा सा हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri D. C. Sharma: Mr. Chairman, Sir, Shri Krishna Deo Tripathi deserved a better deal at the hands of the Members of the Lok Sabha than he has got.

I think that his plea was characterised by clarity and fulness of argument. I do not know why my friend has been opposing this Bill. One of the Members said: shorter the name, the better it is. I do not find any short name in India: I do not find any short name in any part of the world. I do not refer to the names of persons only; I refer to the names of the countries also. For instance, we talk of the Federal Republic of Germany; we talk of the Democratic Republic of Germany. Why don't they say West Germany and East Germany? Why do they try to describe the nature of the Constitution under which those parts of Germany live? Why do you call a country with which we have many dealings as the United Kingdom? Why is it called by that name? Why is Soviet Union called as the Socialist Union of Republics? Every country likes to have a name which describes its character and I do not see any reason why my country should not have that kind of name. Of course, Bharat is there and we all love it; India is ther and we all love it. But if a descriptive name is given to my country, to our country, I think, it will be very much in the fitness of things.

Unfortunately, the average age of the Members of Lok Sabha is fairly high and, therefore, they are always unresponsive to any change of any kind. The older they grow, the less responsive they become to a change even if it is a good change. But I ask one question. What do you think of the younger generation? What do you think of the school boys? What do you think of the college boys? What do you think of the undergraduates? What do you think of the post-graduates? What do you think of those persons who are growing up? What do you think of adolescents? What do you think of them? They do not want only to know that this is India or that this is Bharat. They want to know also that India is a Sovereign Democratic Socialist Republic.

Now, this morning, we were seeing that an hon. Minister was being told, not by everybody, by a few Members that he had not preserved the sovereign quality of his country while he was dealing with some persons in the other country. Of course, that was not right. He had stood for the integrity of this country when he was negotiating with the other country. There is no doubt about it. But why did they base their arguments on the sovereignty of the country? It is because the word 'sovereignty' comes to us all the time. It is upper-most in our minds. What is upper-most in our minds must be there on paper also. The paper should be linked up with those feelings, with those urges, with those drives, and with those motivations which we have in our hearts.

I believe that my country is a sovereign country, and I am very happy about it that it is a sovereign country. I believe that my country follows the principles of democratic socialism. I know that there are some friends who think that we have not achieved our goal. But do you know that when the British were here, the gap between the highest salaried group and the lowest salaried group was of the order of 300:1? But now, I think that the gap has come down to 30:1, and we are working in that direction so that the gap will be 10:1. I would very much like that there should be no gap at all, and everybody should get as much to eat as possible. We are working in the direction of socialism. Of course, socialism is not like a rabbit which a

[Shri D. C. Sharma]

magician can produce out of his hat. It is a means only for better production, equitable distribution and so on.

Then, I come to the word 'democracy'. I swear by the word 'democracy', and I think that this word 'democracy' should be there, because I find some forces in this country which want to do away with the democratic character of my country. There are some persons who say 'Oh, what is this Government? It makes up its mind one way today and it changes its mind the next day. What is this Government? It is much better to have a dictator in this country than a democratic Government.'. There are some wrong-headed people who think like that. I do not agree with them. I think that democracy with all its faults is the best form of government. Democracy with all its faults is the Government which has given better results all over the world than any other form of government. We have tried monarchy. Where are the monarchs now? They are working as our Parliamentary Secretaries......

Mr. Chairman: Monarchs of yesterday.

Shri D. C. Sharma: We have tried the other forms of government also. What have they come to? They have not come to anything. Ultimately we have found that democracy works better and democracy has given a good account of itself not only in times of peace but in times of war. When the Second World War was fought, democracies all over the world were pitched against the totalitarian governments of the world. There was the Government of Hitler, then there was the Government of Mussolini, all totalitarian dictatorships. But the democratic governments of the USA, UK, France and Russia won. Therefore, democracy works much better in times of peace and also in times of war. Therefore, why should people not know that our country is a democratic country?

I have already referred to socialism. Now, I come to the word 'Republic'. The republican form of government is thought to be the best form of government. The USA calls itself a republic. The Soviet Union calls itself a republic. Both these governments differ very deeply and yet they call themselves republics....

Mr. Chairman: The hon. Member may continue his speech in the next session.

17.00 hrs.

*DECONTROL OF ESSENTIAL COMMODITIES

Shri Harish Crandra Mathur (Jelore): Mr. Chairman, this question which was originally put to the Prime Minister and could more appropriately have been answered by her was intended to clear the considerable confusion, contradictions and inconsistencies which we feel and find in Government's programme of controls and decontrols of essential commodities. The hon. Finance Minister, who is of course held in high personal regard by all of us, had, I am afraid, not the entire background and was not fully acquainted with the facts which had been stated on the floor of the House from the Government side. He had, therefore, to depend not so much on facts as on his legal flair and hence we were not much the wiser after all the questions that were answered here. Hence this discussion.

Now, I wonder if it is realised that it is because of the confusion and contradictions concerning the programme of controls and decontrols that there is almost a storm both inside the party and outside it, being discussed at the present moment in the country. Everything is related at present to the economic administartion, and if people's minds are exercised, it is on this account. So it would be much better if the hon. Finance Minister makes the entire position clear.

*Half-an-hour discussion.